दिनांक 03.07.2026
प्रेस विज्ञप्ति 359/2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

पदोन्नति प्राप्त पुलिस अधिकारियों की पिपिंग सेरेमनी (Pipping Ceremony)

श्री राजीव कृष्ण, पुलिस महानिदेशक, **उ0प्र0** द्वारा आज दिनांक 03.07.2026 को पुलिस मुख्यालय, गोमती नगर विस्तार में प्रान्तीय पुलिस सेवा से भारतीय पुलिस सेवा के पद पर पदोन्नति प्राप्त करने वाले अधिकारियों की पिपिंग सेरेमनी (**Pipping Ceremony)** की गयी।

पुलिस महानिदेशक, **उ0प्र0** द्वारा पिपिंग सेरेमनी (**Pipping Ceremony)** में उपस्थित 19 पुलिस अधिकारीगणः-

बैच -1998

1-श्री शुएब इकबाल

बैच- 1999

2-श्री राहुल मिठास
3-श्री महेश सिंह अत्रि
4-श्री जितेन्द्र कुमार श्रीवास्तव
5-शशि शेखर सिंह
6-श्री कुलदीप सिंह
7-श्री ज्ञानेन्द्र नाथ प्रसाद
8-श्री हरेन्द्र प्रताप यादव
9-श्री बंशराज सिंह यादव
10-डा0 कृष्ण गोपाल
11-श्री बलवंत कुमार चौधरी

बैच- 2000

12-श्री राहुल श्रीवास्तव
13-श्रीमती प्रीति बाला गुप्ता
14-श्री विकास चन्द्र त्रिपाठी
15-श्री पूर्णेन्दु सिंह
16-श्री हरेन्द्र कुमार
17-श्री मार्तण्ड प्रकाश सिंह
18-श्री अभयनाथ त्रिपाठी
19-श्री पवित्र मोहन त्रिपाठी, को रैंक लगाया गया एवं पदोन्नति पाये समस्त 28 पुलिस अधिकारियों को बधाई देते हुये उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी गयी।

पुलिस महानिदेशक, **उ0प्र0** द्वारा पदोन्नति पाये सभी अधिकारियों को संबोधित करते हुये कहा कि पुलिस सेवा अत्यन्त चुनौतीपूर्ण कार्य है**,** जिस स्थान पर तैनाती मिले वहां पूर्ण निष्ठा एवं जिम्मेदारी के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करेंसभी अधिकारी अनुशासित रहते हुये उ0प्र0 पुलिस की गौरवशाली परम्परा को आगे बढ़ाने हेतु पूर्ण निष्ठा एवं परिश्रम से कार्य करे।

पिपिंग सेरेमनी के उपरांत पदोन्नति प्राप्त पुलिस अधिकारियों ने **अपर पुलिस महानिदेशक**, **कानून-व्यवस्था**, **उत्तर प्रदेश** से शिष्टाचार भेंट भी की। इस अवसर पर अपर पुलिस महानिदेशक**,** कानून-व्यवस्था द्वारा सभी अधिकारियों को भारतीय पुलिस सेवा के लिए शुभकामनाएं देते हुए उनके नवीन दायित्वों के संबंध में मार्गदर्शन प्रदान किया गया।

इस अवसर पर अपर पुलिस महानिदेशक प्रशासन/पुलिस महानिदेशक के जीएसओ उपस्थित रहे।

मेरठ जोन

मेरठ जोन

ABHAY NATH TRIPATHI
IPS

पी.ए.सी पूर्वी जो
IPS
आगरा जो

BALWANT

पी.ए.सी पूर्वी जोन

मेरठ जोन

मेरठ जोन

मेरठ जोन

पी.ए.सी पूर्वी

मेरठ

मेरठ जोन

दिनांक 03.07.2026
प्रेस विज्ञप्ति 360 / 2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

भ्रष्टाचार निवारण संगठन, उ0प्र0 की मेरठ तथा आगरा इकाइयों द्वारा अलग-अलग स्थानो पर की गयी ट्रैप की कार्रवाई

मा० मुख्यमंत्री उ0प्र0, **श्री योगी आदित्यनाथ जी** द्वारा भ्रष्टाचार के विरुद्ध **"जीरो टॉलरेंस"** की नीति तथा पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, **श्री राजीव कृष्ण** के सख्त निर्देशों के अनुपालन में आज दिनांक 03.07.2026 को भ्रष्टाचार निवारण संगठन, उ0प्र0 की मेरठ तथा आगरा इकाइयों द्वारा अलग-अलग स्थानो पर ट्रैप की कार्रवाई की गयी।

1- भ्रष्टाचार निवारण संगठन मेरठ इकाई द्वारा महिपाल सिंह निवासी मो0 कावली गेट कस्बा व थाना मवाना जनपद मेरठ से जीपीएफ की अन्तिम निकासी व पेंशन पत्रावली को आगे बढ़ाने के एवज में अवैध धनराशि की मांग के सम्बन्ध में की गयी शिकायत पर निरीक्षक मयंक कुमार अरोरा के नेतृत्व में कचहरी परिसर मेरठ से **लेखाकार राजीव सिघंल (कार्यालय डीआईओएस मेरठ)** पुत्र सुखवीर सिंह गुप्ता निवासी अग्रसेन विहार शास्त्रीनगर थाना मेडिकल जनपद मेरठ को **25 हजार रूपये रिश्वत** लेते हुए गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

2- भ्रष्टाचार निवारण संगठन आगरा इकाई द्वारा प्रताप सिंह निवासी नगला सकराया थाना जैत जनपद मथुरा से विद्युतभार को कम कराने के एवज में अवैध धनराशि की मांग के सम्बन्ध में की गयी शिकायत पर निरीक्षक पूजा शर्मा के नेतृत्व में कार्यालय अधिशासी अभियन्ता वाणिज्यक द्वितीय कृष्णानगर मथुरा से **कार्यकारी सहायक सुरेशचन्द्र (कार्यालय अधिशासी अभियन्ता वाणिज्यक द्वितीय कृष्णानगर मथुरा)** पुत्र स्व0 गोकुलचन्द्र निवासी काजी पाडा थाना रकाबगंज आगरा को **05 हजार रूपये रिश्वत** लेते हुए गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

दिनांक 03.07.2026
प्रेस विज्ञप्ति 361/2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद सुलतानपुर/थाना जयसिंहपुर

- **पुलिस कार्यवाही में 50 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त सहित 04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 17 लाख 50 हजार रूपये कीमत की चोरी के सोने (107 ग्राम)–चाँदी (01 किलोग्राम) के आभूषण**
- **चोरी के 11 लाख 50 हजार रूपये नगद**
- **03 अवैध तमंचा मय 32 जीवित, 03 खोखा कारतूस**
- **01 एसयूवी कार आदि बरामद**

दिनांक 03.07.2026 को थाना जयसिंहपुर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पीढ़ी टोल के पास से पुलिस कार्यवाही में पुरस्कार घोषित अभियुक्त 1–अनिकेत सहित अभियुक्त 2–आकाश 3–मिथलेश घायल हो गये, जिन्हे अभियुक्त 4–अजय सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 17 लाख 50 हजार रूपये कीमत की चोरी के सोने (107 ग्राम)–चाँदी (01 किलोग्राम) के आभूषण, चोरी के 11 लाख 50 हजार रूपये नगद, 03 अवैध तमंचा मय 32 जीवित, 03 खोखा कारतूस, 01 एसयूवी कार आदि बरामद हुए। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि थाना जयसिंहपुर क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना जयसिंहपुर पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व माल बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद आभूषण, रूपया आदि चोरी की घटनाओं से सम्बन्धित है। गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त अनिकेत के विरूद्ध जनपद बहराइच, बाराबंकी, खीरी, सीतापुर, संतकबीरनगर के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, लूट, चोरी, गैंगेस्टर एक्ट, एनडीपीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 44 अभियोग, अभियुक्त आकाश के विरूद्ध जनपद बस्ती, अयोध्या, गोण्डा, हरदोई, खीरी, शाहजहाँपुर, सीतापुर, संतकबीरनगर व कन्नौज के विभिन्न थानो में चोरी, गैंगेस्टर

एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 39 अभियोग, अभियुक्त अजय के विरूद्ध जनपद बस्ती, हरदोई, सीतापुर, शाहजहाँपुर, कन्नौज के विभिन्न थानो में लूट, चोरी, गैंगेस्टर एक्ट, आबकारी एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 17 अभियोग एवं अभियुक्त मिथलेश के विरूद्ध जनपद बाराबंकी, सीतापुर, गोण्डा, खीरी के विभिन्न थानो में चोरी, गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 25 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त अनिकेत थाना अटरिया जनपद सीतापुर पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु परिक्षेत्र स्तर से 50 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना जयसिंहपुर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–अनिकेत निवासी नरेंद्रपुर थाना सदरपुर जनपद सीतापुर।

2–आकाश निवासी बीबीपुर थाना इमलिया सुल्तानपुर जनपद सीतापुर।

3–मिथलेश निवासी मथुआपुर थाना रेउसा जनपद सीतापुर।

4–अजय निवासी बीबीपुर थाना इमलिया सुल्तानपुर जनपद सीतापुर।

बरामदगी

1–लगभग 17 लाख 50 हजार रूपये कीमत की चोरी के सोने (107 ग्राम)–चाँदी (01 किलोग्राम) के आभूषण।

2–चोरी के 11 लाख 50 हजार रूपये नगद।

3–03 अवैध तमंचा मय 32 जीवित, 03 खोखा कारतूस।

4–01 एसयूवी कार आदि।

कमिश्नरेट कानपुर नगर/थाना सेन पश्चिम पारा

- **चोरी की घटना का अनावरण**
- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के माल बिक्री के 01 लाख रूपये नगद**
- **चोरी के सफेद धातु (632 ग्राम) के आभूषण**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस**
- **घटना में प्रयुक्त 01 दो पहिया वाहन आदि बरामद**

दिनांक 02.07.2026 की रात्रि थाना सेन पश्चिम पारा व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर कृष्णा पैलेस, स्वर्ण जयंती विहार के पास से

अभियुक्त अंशू को गिरफ्तार कर चोरी की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से चोरी के माल बिक्री के 01 लाख रूपये नगद, चोरी के सफेद धातु (632 ग्राम) के आभूषण, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस, घटना में प्रयुक्त 01 दो पहिया वाहन आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 19.06.2026 को थाना सेन पश्चिम पारा क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना सेन पश्चिम पारा पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्त से बरामद आभूषण, रूपया आदि चोरी की घटना से सम्बन्धित है। गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध कमिश्नरेट कानपुर नगर के विभिन्न थानो में चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के 08 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना सेन पश्चिम पारा पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—अंशू निवासी कच्ची बस्ती मायापुरम थाना गुजैनी कानपुर नगर।

बरामदगी

1—चोरी के माल बिक्री के 01 लाख रूपये नगद।

2—चोरी के सफेद धातु (632 ग्राम) के आभूषण।

3—01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस।

4—घटना में प्रयुक्त 01 दो पहिया वाहन आदि।

जनपद फिरोजाबाद/थाना सिरसागंज

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के माल बिक्री के 01 लाख 09 हजार रूपये नगद**
- **चोरी के पीली—सफेद धातु के आभूषण**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस**
- **घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल आदि बरामद**

दिनांक 03.07.2026 को थाना सिरसागंज व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सींगेमई मोड करहल रोड़ स्थित खाली मैदान से 02

अभियुक्तों 1–अनिकेत उर्फ जालिम 2–नागेन्द्र को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के माल बिक्री के 01 लाख 09 हजार रूपये नगद, चोरी के पीली–सफेद धातु के आभूषण, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस, घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं,जिसमें अभियुक्त अनिकेत उर्फ जालिम के विरूद्ध जनपद फिरोजाबाद व कमिश्नरेट प्रयागराज के विभिन्न थानो में डकैती, चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के 09 अभियोग एवं अभियुक्त नागेन्द्र के विरूद्ध जनपद फिरोजाबाद के विभिन्न थानो में चोरी आदि के 07 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना सिरसागंज पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–अनिकेत उर्फ जालिम निवासी हरदी थाना गुढ़ जनपद रीवा मध्यप्रदेश।

2–नागेन्द्र निवासी रामनई थाना मधुगढ़ जनपद सतना मध्यप्रदेश।

बरामदगी

1–चोरी के माल बिक्री के 01 लाख 09 हजार रूपये नगद।

2–चोरी के पीली–सफेद धातु के आभूषण।

3–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस।

4–घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल आदि।

- **जनपद औरैया/थाना अयाना (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 04 अभियुक्तो को आजीवन कारावास की सजा व अर्थदण्ड)**

जनपद औरैया पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद औरैया द्वारा थाना अयाना पर पंजीकृत अभियोग में अभियुक्त 1–सोनू उर्फ छंगे को धारा 302 भादवि व 4/25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत आजीवन कारावास व 60 हजार रूपये अर्थदण्ड एवं अभियुक्त 2–राहुल 3–पप्पू 4–बृजेश को धारा 302 भादवि के अन्तर्गत आजीवन कारावास व 50–50 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद कानपुर देहात/थाना राजपुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 15 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद कानपुर देहात पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद कानपुर देहात द्वारा थाना राजपुर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/316 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त अमरजीत को आजीवन कारावास व 15 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद सीतापुर/थाना संदना (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 30 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद सीतापुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद सीतापुर द्वारा थाना संदना पर पंजीकृत अभियोग में धारा 323 भादवि व 4 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त लवकुश उर्फ भूपेन्द्र को 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 30 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

———————